सं. 13/1/06-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोकनायक भवन, नई दिल्ली

दिनांक 30 नवम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय : तीर्थयात्रा और सभी धर्मों के प्रतिष्ठित स्थानों के दर्शन करने के लिए सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम धन राशि ।

मुझे, सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 12 के प्रावधानों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें उपर्युक्त नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों और उसके अन्तर्गत प्रशासनिक अनुदेशों के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि लेखे में से अग्रिम धनराशि स्वीकृति करने का प्रावधान है । राष्ट्रीय परिषद, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र में कर्मचारी पक्ष ने भारत और विदेश में तीर्थयात्रा के प्रयोजन से सामान्य भविष्य निधि से धनराशि निकालने/अग्रिम लेने का अनुरोध किया है । कर्मचारी पक्ष की मांग पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है और इसकी जाँच करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रयोजनों के लिए सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम राशि लेने की अनुमति प्रदान की जाए ।

2. राष्ट्रपति, तदनुसार, यह निर्णय लेते हैं कि तीर्थ यात्रा अथवा सभी धर्मों के प्रतिष्ठित स्थानों के दर्शन करने के लिए सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम धनराशि लेने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जाए :-

(i) चूँकि धर्मों की विभिन्नता के मद्देनजर भारत और विदेश में ऐसे स्थानों को विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है, अतः अग्रिम धनराशि के मंजूरीदाता प्राप्त प्राधिकारी, स्व्यं को इस बात से संतुष्ट कर ले कि जिस स्थान का दर्शन करना है वह तीर्थयात्रा का स्थान है अथवा धार्मिक प्रतिष्ठा प्राप्त कोई स्थान है ।

(ii) सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम धनराशि की मंजूरी की अन्य शर्तें भी लागू रहेंगी ।

3. जहां तक, इसके भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग पर लागू होने का संबंध है, यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है ।

4. यह दिनांक 9.11.06 की आई.डी. संख्या 393/ई.v/2006 के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय से परामर्श करके जारी किया जाता है । सामान्य भविष्य निधि नियमावली में औपचारिक संशोधन बाद में किया जाएगा ।

(एम.पी. सिंह)
निदेशक (पी. पी.)
दूरभाष : 24624802

प्रति प्रेषित :-

संलग्न मानक सूची के अनुसार